निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 436) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान–सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–20/2020–1006/वि०स०।——''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०—5/2020]
बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020
बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम—12, 2017)
का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रभावी हुये माने जायेंगे।

2. **मूल अधिनियम में नयी धारा 168क का अंतःस्थापन।**—मूल अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''168क. विशेष परिस्थितियों में समय—सीमा के विस्तार हेतु सरकार की शक्तियाँ।—

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, वैसे कार्यों, जिन्हें अप्रत्याशित घटना के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है या अनुपालन नहीं किया जा सकता है, की बावत इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट, या विहित या अधिसूचित समय—सीमा का विस्तार कर सकेगी।

(2) उप—धारा (1) के तहत अधिसूचना जारी करने की शक्ति में, इस अधिनियम के प्रवृत होने की तारीख के पश्चात किसी तारीख से, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''अप्रत्याशित घटना'' पद का अर्थ युद्ध, महामारी, बाढ़, सुखा, आग, चक्रवात, भूकम्प या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में प्रभाव डालने वाला अन्यथा कोई कारण होगा।''।

3. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**—

(i) बिहार माल और सेवा कर (सं''ाोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या—3, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादे''ा के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर—आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार—साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रख्यापित किया गया है।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से आमलोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में Lockdown लागू किया गया, जिसके कारण सामान्य जन–जीवन प्रभावित हुआ। बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कई प्रकार के विधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिनियम में समय सीमा निर्धारित की हुई है। फलतः अधिनियम में समय सीमा के विस्तार जैसे प्रावधानों को शिथिल करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में केन्द्र द्वारा दिनांक 31 मार्च 2020 को अध्यादेश जारी भी किया जा चुका है। चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं, अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना वांछनीय है।

प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक की मुख्य बातों में अधिनियम की धारा–168 के पश्चात् एक नयी धारा 168क अंतःस्थापित करते हुए सरकार को युद्ध, बाढ़ ,सूखा, महामारी आदि जैसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अधिनियम में विहित समय सीमाओं को विस्तारित किये जाने की शक्ति प्रदान की गयी है तथा यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसी अधिसूचनाएँ भूतलक्षी प्रभाव से निर्गत की जा सकेंगी।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 436-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in